रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 1983/कार्तिक 17, 1905
No. 496] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 1983/KARTIKA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1983

का. आ. 798 (अ) :—भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग के आदेश संख्या एल-29011(67)/83-डी. 3 (बी) दिनांक 1 नवम्बर, 1983 द्वारा मैसर्स ईस्टर्न माइनिंग कम्पनी, ठेकेदार तथा राऊरकेला स्टील प्लांट, राऊरकेला के प्रबन्धतंत्र और इस्पात डोलोमाईट कलारी, डालदुवार के कर्मचारियों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व छत्तीस गढ़ स्वतंत्र मजदूर यूनियन, बारादुवार ने किया है, औद्योगिक विवाद को केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रतिष्ठान में उक्त विवाद के बारे में उपरोक्त निर्देशन की तारीख से हड़ताल को जारी रहने को प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं. एल-29011/67/83-डी. 3(बी)]
वी. एस. एलावादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 8th November, 1983

S.O. 798(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, No. L-29011(67)|83-D.III.B, dated the 1st November, 1983, an industrial dispute between the management of M|s. Eastern Mining Company, Contractor and Rourkela Steel Plant Rourkela and the workmen of Ispat Dolomite Quarry, Baraduar as represented by Chatisgarh Swatantra Mazdoor Union, Baraduar has been referred to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947) the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said establishment in connection with the said dispute on the date of the above reference.

[No. L-29011(67)|83-D.III.B.]
V. S. AILAWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983